**न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर(राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण व्यास

नियमित सिविल वाद सं. : 50/2022
(cis no.54/2022)

हरीश कंसल पुत्र बनारसी दास आयु 52 वर्ष निवासी 91 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

–वादी

**विरूद्ध**

चन्दूराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान, छानीबड़ी, पोस्ट ऑफिस छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़(राज.) (एकपक्षीय कार्यवाही)

–प्रतिवादी

**वाद बाबत वसूली रकम**

**प्रतिनिधित्व:**

1. श्री कुलदीप चंद गार्गी अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

**दिनांक: 18.03.2024**

## ::निर्णय::

1. वादी की ओर से राशि की वसूली हेतु यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 27.06.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. वाद पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी एक शिक्षक है जो गत कई वर्षों से श्रीगंगानगर में ही निवास कर रहा है। प्रतिवादी चन्दूराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान के दीवान सिंह एवं प्राचार्य बलवन्त कुमार बेनीवाल की वादी के साथ गत कई वर्षों से जान पहचान है और इसी जान पहचान के आधार पर प्रतिवादी ने अपने कॉलेज की जरूरतों के लिए 5,00,000 रू. उधार प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की व उधार राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का मौखिक अनुबंध हुआ जिस पर प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 26.06.2019 को 2,00,000 रू. व 3,00,000 रू. कुल पांच लाख रूपए आईसीआईसीआई बैंक व इण्डसइण्ड बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जो दिनांक 26.06.2019 को आरटीजीएस से प्रतिवादी के खाता में अंतरित किए गए। इस राशि को प्रतिवादी ने जल्द ही वापस लौटाने का आश्वासन दिया परन्तु राशि नहीं लौटाई जिससे वादी उक्त राशि के उपयोग उपभोग से वंचित हो गया एवं इस राशि पर तय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से पाने का अधिकारी है। उक्त राशि पर इस दर से दिनांक 26.05.2022 तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 262500 रूपए ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस राशि को प्राप्त करने हेतु वादी ने समय–समय पर प्रतिवादी से सम्पर्क किया लेकिन प्रतिवादी ने संतोषजनक

उत्तर नहीं दिया। अंत में वादी ने दिनांक 7.5.2022 को प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ब्याज सहित कुल 755000 रूपए की राशि का पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया जो प्रतिवादी को दिनांक 10.05.2022 को प्राप्त हो गया लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर वादी दिनांक 15.5.2022 व 31.5.2022 को स्वयं प्रतिवादी के पास गया और राशि अदायगी का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादी ने राशि अदायगी से इन्कार कर दिया। इन तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध 762500/–रूपए व इस पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, वाद व्यय दिलाए जाने का अनुतोष याचित किया।

3. प्रतिवादी को वादपत्र के समन जारी किए गए। उसकी ओर से प्रारंभ में दिनांक 20.02.2023 को अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाबदावा पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु दिनांक 2.9.2023 को प्रतिवादी अनुपस्थित रहा एवं उसके अधिवक्ता ने भी "हिदायत पैरवी न होना जाहिर किया" इस कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

4. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्यस्वरूप पी.ड.1 हरीश कंसल की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी व प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप प्रलेख आईसीआईसीआई बैंक के खाता का विवरण प्रदर्श–1, इण्डसइण्ड बैंक के खाता का विवरण प्रदर्श–2, नोटिस की प्रति प्रदर्श–3, रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श–4 व डाक विभाग से प्राप्त कन्साईनमेंट रिपोर्ट प्रदर्श–5 के रूप में प्रदर्शित करवाए।

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है, अतः वाद डिक्री किया जावे।

6. उक्त तर्कों पर मनन किया। वादी पी.ड.1 हरीश कंसल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि प्रतिवादी चन्दूराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान के दीवान सिंह एवं प्राचार्य बलवन्त कुमार बेनीवाल की वादी के साथ गत कई वर्षों से जान पहचान है और इसी जान पहचान के आधार पर प्रतिवादी ने अपने कॉलेज की जरूरतों के लिए 5,00,000 रू. उधार प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की व उधार राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का मौखिक अनुबंध हुआ जिस पर प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 26.06.2019 को 2,00,000 रू. व 3,00,000 रू. कुल पांच लाख रूपए आईसी आईसीआई बैंक व इण्डसइण्ड बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जो दिनांक 26.06.2019 को आरटीजीएस से प्रतिवादी के खाता में अंतरित किए गए। इस राशि को प्रतिवादी ने

जल्द ही वापस लौटाने का आश्वासन दिया परन्तु राशि नहीं लौटाई जिससे वादी उक्त राशि के उपयोग उपभोग से वंचित हो गया एवं इस राशि पर तय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिनांक 26.05.2022 तक 262500 रूपए ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस राशि को प्राप्त करने हेतु वादी ने समय समय पर प्रतिवादी से सम्पर्क किया लेकिन प्रतिवादी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अंत में वादी ने दिनांक 7.5.2022 को प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ब्याज सहित कुल 7,55,000 रूपए की राशि का पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया जो प्रतिवादी को दिनांक 10.05.2022 को प्राप्त हो गया लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर वादी दिनांक 15.5.2022 व 31.5.2022 को स्वयं प्रतिवादी के पास गया और राशि अदायगी का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादी ने राशि अदायगी से इन्कार कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक के खाता का विवरण प्रदर्श–1, इण्डसइण्ड बैंक के खाता का विवरण प्रदर्श–2, नोटिस की प्रति प्रदर्श–3, रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श–4 व डाक विभाग से प्राप्त कन्साईनमेंट रिपोर्ट प्रदर्श–5 के रूप में प्रदर्शित करवाए।

7. वादी की उपर्युक्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है, इस कारण उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। प्रदर्श–1 व 2 के अवलोकन से दिनांक 26.6.2019 को चन्दूराम नाम से राशियां आरटीजीएस माध्यम से ट्रांसफर करने की पुष्टि होती है। वादी ने कथन किया है कि उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने का मौखिक अनुबंध हुआ था तथा राशि नहीं लौटाने पर प्रतिवादी को नोटिस दिया गया जिसकी प्रति प्रदर्श–3 भी पेश की गई है जिसकी रजिस्ट्री की रसीद से प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होना प्रमाणित है। तत्पश्चात वादी ने दिनांक 15.5.2022 व 31.5.2022 को प्रतिवादी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर राशि की मांग करने का भी कथन किया है। इन तथ्यों से वाद भलीभांति परिसीमा अवधि में होना साबित है। उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय रूप से 762500/–रूपए के लिए डिक्री किए जाने योग्य है एवं प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों में वाद प्रस्तुति से वसूली तक वादी को 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

## आदेश

8. फलतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सव्यय एकपक्षीय रूप से इसप्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी बैंक प्रतिवादी से राशि 7,62,500 रू. (सात लाख बासठ

हजार पांच सौ रूपए)एवं इस राशि पर वाद प्रस्तुति दिनांक 27.06.2022 से वसूली तक छः प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

डिक्री पर्चा बनाया जावे।

**(सत्यनारायण व्यास)**

9. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सत्यनारायण व्यास)**